



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 649 राँची, सोमवार,

14 अक्टूबर, 2024 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

#### अधिसूचना

18 सितम्बर, 2024

**संख्या-5/आरोप-1-6/2024-27363 (HRMS)--श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा०प्र०से०** (षष्ठम बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़ लातेहार के पत्नी की आत्महत्या मामले में दिनांक 28.02.2024 को गिरफ्तार किये जाने संबंधी सूचना उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-104/स्था0, दिनांक 01.03.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. इसी क्रम में, श्री गुप्ता द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि कोतवाली थाना, राँची वाद संख्या-65/2024 के आलोक में उन्हें दिनांक 28.02.2024 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XV के न्यायालय वाद संख्या-B.P/0000392/2024 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 20.04.2024 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात् दिनांक 22.04.2024 को विभाग में योगदान दे रहे हैं।

3. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-25853, दिनांक 24.06.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत श्री गुप्ता को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 28.02.2024 से निलंबित करते हुए हिरासत से मुक्त के उपरांत उक्त नियमावली के नियम-9(3)(i) के तहत योगदान देने की तिथि दिनांक 22.04.2024 से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए नियम-9(1)(ग) के तहत योगदान की

तिथि 22.04.2024 से अगले आदेश तक इनको निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

4. श्री गुप्ता के आवेदन, दिनांक 10.07.2024 एवं 05.08.2024 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि उनसे संबंधित राँची कांड संख्या-65/2024 पूर्णत निजी प्रकृति का है। उनके तथा सूचक के बीच सुलहनामा हो चुका है एवं उक्त आधार पर ही उन्हें जमानत मिला है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि उनकी पत्नी की आत्म हत्या के पश्चात् उनके दोनों पुत्रियों के देखभाल एवं पढ़ाई-लिखाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः श्री गुप्ता से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (षष्ठम बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़ लातेहार, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन मुक्त किया जाता है।

| Sl. No. | Employee Name<br>( G.P.F. No. )    | Department                                 | Office                                                    | Designation      | Decision of the Competent Authority                                                                                                                    | Effective Date | Effect of suspension period on pension         |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1       | 2                                  | 3                                          | 4                                                         | 5                | 6                                                                                                                                                      | 7              | 8                                              |
| 1       | JITENDRA KUMAR GUPTA<br>( 250601 ) | DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR | DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI) | Under Suspension | श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (षष्ठम बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़ लातेहार, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन मुक्त किया जाता है। | 18/09/2024     | It will NOT be calculated for pension purposes |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

-----